

बिहार सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)  
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खां मार्ग, पटना-800 014  
संख्या— 659

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक— 03/04/2020

विषय— Vindhya Telelinks Ltd. द्वारा गंगटा—लक्ष्मीपुर पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.53 हेठल वन भूमि का “Vindhya Telelinks Ltd. पटना के पक्ष में” अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक रवीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 11-09/98 FC दिनांक 07.09.2015 के आलोक में एवं बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, के पत्रांक 642 (ई०) दिनांक 30.05.2018 तथा पत्रांक 1371 (ई०) दिनांक 19.12.2018 द्वारा निजी एजेसियों के लिये भी अपयोजन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से अनुमोदनोंपरान्त रवीकृति आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया गया है।

2. Vindhya Telelinks Ltd. द्वारा गंगटा—लक्ष्मीपुर पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.53 हेठल वन भूमि अपयोजन हेतु Vindhya Telelinks Ltd. पटना के प्रस्ताव में आवश्यक प्रविष्टि उपरान्त वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना के माध्यम से प्राप्त हुआ है जिसमें अपयोजित होने वाली वन भूमि एवं पातित होने वाली वृक्षों की संख्या निम्नलिखित है—

क्रम सं०	वन प्रमंडल का नाम	क्षेत्रफल (हेठल में)	पातित होने वाली वृक्षों की संख्या
1	मुंगेर	0.53	0
	कुल	0.53	0

3. प्रस्तावित ऑप्टिकल फाईबर केबल अधिसूचित पथ (वन भूमि) किनारे से हो कर गुजरती है। उक्त पथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 921 (E) दिनांक 28.08.1997 द्वारा अधिसूचित है। इस क्रम में तालिका के अनुसार कुल 0.53 हेठल वन भूमि के अपयोजन एवं शून्य वृक्षों के पातन की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक द्वारा किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया है कि अपयोजित होने वाली वन भूमि वन्यप्राणी आश्रयणी एवं राष्ट्रीय उद्यान का भाग नहीं है, परन्तु प्रस्तावित ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन भीम बाँध वन्यप्राणी आश्रयणी के इकों सेसेटिव जोन से होकर गुरजता है।

EP

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व 0.4 प्रतिवेदित किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा भाग-II के प्रविष्टि में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने की सूचना अंकित किया गया है।

5. ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन को मूल टोपो शीट नक्शा पर दर्शाते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित मूल टोपो शीट नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपयोजित होने वाली वन भूमि का Geo Reference Map ऑनलाइन में प्रदर्शित है।

5. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र, सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के अनुपालन के बाद उपलब्ध कराने संबंधित दिशा-निर्देश निर्गत की गयी है। तदआलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण पत्र के ही प्रस्ताव पर Stage-I की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव सरकार को अग्रसारित किया जा रहा है।

6. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश की कड़िका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है।

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।

2. Optical fiber Cable प्रस्ताव हेतु NPV देय नहीं है।

3. यद्यपि परियोजना निर्माण में वृक्षों का पातन नहीं किया जा रहा है परन्तु हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के मानक दर एवं वर्तमान मजदूरी दर पर राशि ₹ 0 7,29,862/- देय होगी।

प्रस्ताव की एक प्रति अनुलग्नक सहित अग्रेतर कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न भेजी जा रही है। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन ग्राप्त है।

अपयोजन स्वीकृति का यह आदेश सामान्य जिलों के लिये 1 (एक) हेतु वन भूमि के अपयोजन की शक्ति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को देने के क्रम में अनुमोदनोंपरान्त निर्गत किया जायेगा।

अनुरोध है कि प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सहमति संसूचित करने की कृपा की जाय, जिसके बाद नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के द्वारा Stage-I स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा। अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
—सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।